

अंतिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक
अदालत केम्प मोरपा

उनवान

1. हेमन्त कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. गिर्राज पुत्र लक्ष्मीनारायण
3. कल्याणी बाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति धोवी निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. पानाचन्द पुत्र कन्हैयालाल
2. हीना पुत्री ओमप्रकाश
3. उपासना पुत्री ओमप्रकाश
4. दीपा कुमारी पुत्री ओमप्रकाश
5. प्रेमबाई पत्नी ओमप्रकाश
6. मांगीबाई पुत्री कन्हैयालाल
7. कलावती पुत्री कन्हैयालाल जाति धोवी निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53-88-89-188 आरटीएक्ट


मिसल नम्बर-40/15


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-व-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिव मुद्दई रुबरु मिनजानिव एडवोकेट मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण खारिज किया जाता है।" तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।


(लोक अ. नं. 684)


(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद